

वनभूमि के माँग का पूर्ण औचित्य

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

उपरोक्त कोलीढेक झील की स्वीकृति शासनादेश सं०-787/01(110)/XXVII(1)/2017/दि०-16.08.2017/नाबार्ड के द्वारा रु० 2142.52 लाख की प्रदान हुई है। उक्त परियोजना का निर्माण लोहाघाट के समीप कोलीढेक ग्राम के लोहावती नदी में किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस क्षेत्र में अभी तक कोई झील नहीं है। प्रस्तावित स्थल में वन पंचायत भूमि प्रभावित हो रही है जिसका वनभूमि प्रस्ताव तैयार किया गया है। पेयजल एवं पर्यटन की दृष्टि से झील का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। इस क्षेत्र में मायावती आश्रम नामक स्थल पर्यटक स्थल भी है। यह स्थल टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के 114 किमी० लोहाघाट से मात्र 2.5 किमी० की दूरी में स्थित है। झील के निर्माण से लोहाघाट, कोलीढेक, बन्दलाढेक, कर्णकरायत, कलचौड़ा, फोर्ती आदि ग्रामों को पानी की सुविधा प्राप्त होगी।

उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु अन्य भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण वनभूमि में झील का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित झील का निर्माण ग्राम-कोलीढेक की सीमा एवं ग्राम-फोर्ती की सीमा में किया जाना है। इस नदी में बारहमासी पानी रहता है। झील के निर्माण के पश्चात् झील में मत्स्य पालन सरकार की ओर से किया जायेगा, जिससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। झील के निर्माण के पश्चात् लोहाघाट एक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जायेगा, जिस कारण इस क्षेत्र में बसे व्यापारियों एवं आम जनता को उद्योग का मौका मिलेगा। उनकी आय में वृद्धि होगी।

उपरोक्तानुसार झील में मात्र 1.308 हे० वन पंचायत भूमि एवं सिविल भूमि 3.192 कुल भूमि 4.500 हे० प्रभावित हो रही है। अन्य भूमि उपलब्ध न होने के कारण विशेष परिस्थिति में झील का निर्माण वनभूमि में किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्तानुसार 4.500 हे० वनभूमि प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

Jhony

सहायक अभियन्ता प्रथम
सिंचाई उप खण्ड लोहाघाट
जनपद- चम्पावत

Jaw
जिलेदार

सिंचाई उपखण्ड चम्पावत

Abol
अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड
(प्रयोक्ता एजेंसी)
लोहाघाट